IJAER/November-December 2015/Volume-4/Issue-3/Article No-3/ 15-18 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

भारतवर्ष में महिलाओं के जीवन पर मीड़िया का प्रभाव

Sukh Dev
Govt. High School Kagdana
Haryana

सर:

भारत एक पुरूष प्रधान देश है, लेकिन देश के गौरव को ऊँचा उठाने एवं देश को सम्मानजनक स्थान दिलाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सृष्टि के उद्भव से ही महिलाएँ राष्ट्र–निर्माण की प्रक्रिया में अहम् भूमिका निभाती आई है। किसी भी स्वस्थ एवं विकसित समाज निर्माण में स्त्री एवं पुरुष दोनों की बराबर सहभागिता का होना परम आवश्यक है, साथ ही साथ नैसर्गिक सिद्धान्त तथा पर्यावरणीय सन्तुलन की दृष्टि से भी ऐसा अत्यन्त अनिवार्य पहलू है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओं की स्थिति निरन्तर परिवर्तनीय रही है। इतिहास साक्षी है कि जब–जब भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ, भारतीय महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। कभी यह परिवर्तन सकारात्मक, तो कभी महिलाओं के विकास में पूर्ण बाधक बना। भारत में मुस्लिम सत्ता के आगमन के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गई थी। जिस कारण महिलाएँ केवल पुरुषों के हाथों की कठपुतली बनकर चारदीवारी में कैद होकर रह गई, परन्तु बिटिश काल में राजाराम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर जैसे समाजसेवियों ने महिलाओं के उत्थान हेतु विकास कार्यों की नींव रखी। जिसके लिए उन्होंने अनेकों समाचार पत्र–पत्रिकाओं कि माध्यम से नारी शिक्षा पर बल दिया और महिलाओं को जागरूकता प्रदान की। आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति में तीव्र क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। जिसका प्रमुख श्रेय मीड़िया को जाता है। वास्तव में मीडिया परिवर्तन और विकास का सशक्त वाहक है। महिलाओं के विकास के संदर्भ में तो इसकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। महिलाओं के शैक्षणिक, सामाजिक, सास्कृतिक और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्रकाश में लाकर महिलाओं के उत्थान की गति तेज करने का श्रेय मीड़िया को ही है।

प्रस्तावना:

नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में,
पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में

–जयशंकर प्रसाद

महिलाएँ जिन्ह हम जगजननी, आधशक्ति, जगदंबा, नारी, अबला आदि के नाम से जानते हैं, ने समय–समय पर संसार को अपनी शक्ति के विभिन्न रूप दिखाएं हैं, कभी यह शक्ति हमें आकाश को छूती कल्पना चावला में दिखी, तो कभी इंग्लिश चैनल को पार करती आरती साहा में, कभी इन्हें हमने अपराधियों से जूझती किरण बेदी में देखा, तो कभी देश का शासन संभालती इंदिरा गांधी में, कभी यह शक्ति हमें स्वर का जादू बिखेरती लता मंगेश्कर में दिखी तो कभी खेल कौशल्य का प्रदर्शन करती कर्णम मल्लेश्वरी में, तो कभी व्यवसाय में सूझबूझ दिखाती किरण मजूमदार शॉ में।

जिस प्रकार तार के बिना वीणा बेकार होती है, ठीक उसी प्रकार नारी के बिना मनुष्य का जीवन हमारे ऋषि–मुनियों ने भी स्वीकार है कि :–

''यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रंमते तत्र देवता।''

अर्थात् जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते है। मानव को ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना माना जाता है। परन्तु यदि हम मानव जाति में भी स्त्री और पुरुष को अलग–अलग मान कर विचार करें, तो पायेंगे कि निस्संदेह ''नारी ही ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है।''

महिला एवं अन्य संबंधित शब्दों का अर्थः

भारतीय परिदृश्यमें महिलाओं के लिए अनेक पर्याय प्रयुक्त किये गये हैं। स्वयं महिला शब्द का अर्थ महनीय स्वरूपा अर्थात सम्मानीय महिला है। वामा शब्द सौन्दर्य के उल्लास का द्योतक है। अर्दांगनी–जिसका तात्पर्य पुरुष का अर्ह भाग या मानव जाति का जाति का अर्द्वाग हो सकता है। परन्तु नारी पहले अर्थ में ही अधिक प्रतिष्ठित थी। व्युत्पतिपरक अर्थ में अंग्रेजी के वूमन ;वउंदद्ध शब्द का अर्थ भी पुरुष का अर्द्धात्म ;भ्सि.मिसि वि उिमदद्ध ही होता है।

वस्तुतः नर–नारी के एक दूसरे के पूरक होने की अभिव्यक्ति तो यथार्थ रूप में भारतीय देवालयों में प्रस्थापित ''शिव'' की मूर्ति से ही हो जाती है। जिसमें महादेव और पार्वती का संयुक्त निरूपण किया गया है। इससे यह आभास होता है कि मानवता का कल्याण भी स्त्री और पुरुष के परस्पर सहयोग से ही संभव है।

''शिव'' शब्द में नारी का निरूपण ''इ'' स्वर से होता है जिसका संस्कृत में अर्थ होता है ''शक्ति''। यदि ''शिव'' से इस शक्ति को निकाल दिया जाये तो ''शव'' ही अवशिष्ट रह जायेगा तो मृत शरीर का द्योतक है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्री के सहयोग से पुरुष जगत में शक्तिमान बनता है, सृष्टि में मानव जाति के अस्तित्व को मिटने से रोकता है। बिना स्त्री अर्थात् ''जीवन–शक्ति'' के जीवित रहते हुए भी वह मृतक के समान है।

महिलाओं का योगदानः

इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है कि किसी भी युग में महिलाओं का योगदान कम नहीं था। वैदिक काल में मैत्रेयी, गार्गी जैसी विदुषी स्त्रियों की गणना पुरुषों के साथ की जाती थी। सीता, सावित्री जैसी नारियों ने धर्म के मार्ग पर चलकर समाज के लिए आदर्श की स्थापना की। मुस्लिम काल में जब पुरुषों ने मान–मर्यादा को दांव पर लगा दिया, स्त्रियों को पांव की जूती बनाने में कोई कसर न छोड़ी, तब भी पदिमनी, दुर्गावती, अहिल्याबाई जैसी नारिया ने अपने त्याग, योग्यता, बलिदान और क्षमा जैसे गुणों से नारी जाति का गौरव बढ़ाया।

परिवेश में भी जहां एक ओर लादेन, मुर्शरफ, सद्दाम हुसैन, जार्ज बुश जैसे पुरुषों ने पृथ्वी को युद्धों की अंधेरी खाई में धकेल दिया, वहीं दूसरी ओर मदर टेरेसा, सुश्री शिरीन एबादी जैसी नारियों ने अपने खून–पसीने से मानवता की बुझती मशाल को जलाएं रखा।

यह नारी काईश्वर प्रदत्त स्वभाव ही है कि यह जितना लेती है, उससे कहीं अधिक देती है। पुरुष प्रधान समाज में नारी की भावनाओं का कभी उचित मूल्यांकन नहीं किया गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र कवि **मैथिलीशरण गुप्त** को भी यह लिखने के लिए विवश होना पड़ा कि :–

''अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में है दूध और आंख में पानी।''

किन्तु इतना होने पर भी नारी ने अपना स्वभाव नहीं बदला।उसके दुखों का प्रादुर्भाव तो उसके साथ ही जन्म ले लेता है। माता–पिता के घर वह पराई अमानत बनकर रहती है। ससुराल में पराई बेटी बनकर। अपने प्रेम से प्रत्येक को अपना मानने वाली नारी आजन्म प्रायः पराई सी ही रहती है। एक ओर पुरुष अपने लालची स्वभाव के कारण उससे दहेज और शारीरिक सख की मांग रखते हैं, वहीं दूसरी ओर नारी अपनी त्यागमयी छवि के कारण पुरुष के लिये अपना नाम, अपनी पहचान त्यागने से भी संकोच नहीं करती। अत्यधिक कार्यकुशल होने के बावजूद नारी स्वयं को अपने परिवार के प्रति ही समर्पित कर देती है।

मीडिया और महिलाएंः

तमाम बाधाओं के बावजूद महिलाओं को जहां भी मौका मिल रहा है वे बेहतर परिणाम दे रही है। महिलाओं की चेना का विकास हुआ है और अपने अधिकारों तथा बेहतरी के लिये भी उनमें जागरूकता बढ़ी है। जिसका श्रेय केवल ''मीडिया'' को ही जाता है। मीडिया के दोनों ही घटाकों इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिण्ट मीडिया ने महिलाओं की लड़ाई को सशक्त स्वर प्रदान किया है। महिला समानता एवं महिला विकास को लेकर होने वाले तमाम संघर्षो को जनमाध्यमों का पूरा समर्थन प्राप्त है।

प्रिण्ट मीडिया ने तो अपने जन्म के साथ ही महिलाओं पर हाने वाले अत्याचार एवं महिलाओं की दयनीय सामाजिक स्थिति पर तंज कसने प्रारम्भ कर दिये थे। गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र–पत्रिकाओं ने इस दिशा में सर्वप्रथम पहल की। राजाराम मोहन राय ने सतीप्रथा का अन्त करने, ईश्वर चन्द

विद्यासागर ने विधवा पुर्नविवाह, तिलक और गांधी आदि ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने हेतु इसी प्रिण्ट मीडिया का ही सहारा लिया।

इलेक्ट्रानिक मीडिया के उद्‌भव और विकास के पश्चात् तो इस दिशा में तीव्र क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। जिसने महिलाओं की समाजिक दिशा एवं विकास का अद्‌भुत काया पलट कर दिया। कामकाजी महिलाएं, राजनीतिक, सशक्तिकरण द्वारा शासन का संचालन करती महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती महिलाएं, खेतों में कठिन श्रम करती महिलाएं, विश्व परिदृश्य पर चन्द्रिका कुमार तुगें, सोनिया गाँधी, बनजीर भुट्टो, सुकर्णो मेगावती, आंग सान सूकी के रूप में नेतृत्व करती महिलाएं लोगों के बीच महिलाओं की सशक्त, प्रभावशाली संघर्षशील और सकारात्मक छवि मीडिया के माध्यम से ही पहुच रही है।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति परिवर्तन में मीडिया का योगदान:

मीडिया के विकास के साथ–साथ ही महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन आया है। आज महिलाएं अपनी पारम्परिक ''गृहलक्ष्मी'' और घरेलू ''छवि'' को तोड़कर पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। उनरके अधिकारों को मान्यता मिल रही है और कामकाजी महिलाओं को पारिवारिक स्वीकृति प्राप्त हो रही है। परिवार में लड़कियों की शिक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा मिलने की बात है या कन्या भ्रूण हत्या, दहेज आदि के खिलाफ कदम उठाने का प्रश्न; मीडिया ने महिलाओं के पक्ष में सशक्त तरीके से आवास उठाई है और इससे इस दिशा में सरकारी और गैर सरकारी वर्ग सक्रिय वर्ग सक्रिय हुआ है। मीडिया द्वारा उठाये गये इन ज्वंलत मुद्‌दों के कारण ही महिलाओं की सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में इससे काफी मदद मिली है।

महिलाओं की आथिक स्थिति पर मीडिया का प्रभाव:

मीडिया के प्रभाव के कारण महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी पहले की अपेक्षा बेहतर हुई है। आज महिलाएं पारम्परिक रूप से उनके अनुकूल समझे जाने वाले पेशे–स्कूल अध्यापिका, नर्स, डाक्टर, रिसेप्शनिस्ट से आगे नवीन क्षेत्रों में रोजगार पटल पर नजर आ रही है। वह सेना में कार्यरत है, समाचार पत्र–पत्रिकाओं का संपादन एवं रिपोर्टिंग कर रही है, कम्पनी प्रबन्धक ट्रक, विमान और रेवले परिचालन आदि में वे पारंगत हो चुकी है। अर्द्धसैनिक बल एवं पुलिस बल भी अब उनके प्रभाव से अछूते नहीं है।

इससे संदेह नहीं मीडिया ने रोजगार के सवाल पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से महिलाओं के लिये कार्य किया है। वह रोजगार सूचना, रोजगार काउन्सलिंग पर जानकारियाँ प्रदान कर महिलाओं की मदद कर रहा है। इसके अतिरिक्त काम की दशाओं में सुधार और पुरुषों के समान वेतन दिलाने के प्रश्न को भी मीडिया ने बखूबी उठाया है। इस सब के फलस्वरूप उनकी रोजगार की स्थितियों एवं दशाओं में सुधार हुआ है।

मानवाधिकार और मीडिया:

मानवाधिकार का प्रश्न महिलाओं के लिए विशिष्ट है। समाज के हर वर्ग में उनके अधिकारों का हमेशा हनन किया गया है। उनके अस्तित्व को नकारने का प्रयास होता रहता है। घर और बाहर दोनों जगह महिलाएं अत्याचार और शोषण का शिकार होती है। यह अपराध स्त्री की निजी आजादी में दखलअंदाजी की तरह होते हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए भी स्थितियां सहज नहीं है। कार्यस्थल पर उनके पुरुष सहकर्मियों द्वारा फब्ती कसना, छेड़छाड़ का प्रयास और शारीरिक दुर्व्यवहार की कोशिशे की जाती हैं। पारिवारिक सदस्यों द्वारा भी महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन किया जाता है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक औरतों पर होने वाले जुल्मों में से एक तहिाई उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा ही किये जाते हैं। सामान्यतः पीड़ित महिला के संदर्भ में मीड़िया का व्यवहार सहानुभूतिपूर्वक और सहयोगी रहा है। उसके मानवाधिकारों का प्रश्न मीड़िया चिंतन के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है और मीडिया ने स्वयं भी इसके लिये पहल की है।

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों और उसके मानवाधिकार हनन के प्रयासों की मीडिया ने व्यापक आलोचना की है। भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, महिलाओं के लिये स्वास्थ्य दशाओं की बेहतरी, उनकी शिक्षा–दीक्षा और काम करने की आजादी जैसे प्रश्नों का मीडिया ने हमेशा समर्थन किया है।

महिला सशक्तीकरण और मीडिया:

महिला सशक्तीकरण का अर्थ है–महिलाओं का उनकी क्षमता, स्वतन्त्रता एवं मुक्ति का बोध कराते हुए इतना सशक्त बना देना कि वे व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभाग बन सकें। इस क्र में भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के फलस्वरूप ग्रामीण एवं नगरीय स्वायत संस्थाओं मिें महिलाओं के लिये 1/3 स्थान आरक्षित करके उन्हें चूल्हे–चौके के सीमित दायरे से बाहर लाना एक सकारात्मक पहल है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा स्त्री विकास ब्यूरो और 1985 में ''महिला दशक'' की समाप्ति पर महिला विकास एवं कल्याण के लिये पृथक मंत्रालय की स्थान की गई।

कानूनी प्रावधानों की बात करे तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में दो बार संशोधन किये जा चुके हैं। कामकाजी महिलाओं के लिये प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 और समान मजदूरी अधिनियम 1976 संरक्षणात्मक और शोषण निवारक कानून लागू है। 1990 के एक्ट के तहत ''राष्ट्रीय महिला आयोग'' की स्थापना की गयी है, जिसका कार्य महिलाओं के विकास प्रयासों और उन पर हो रहे अत्याचारों, शोषण आदि का निराकरण करना है। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में कल्याण से लेकर विकास तक और अब विकास से लेकर सशक्तीकरण तक के सभी कार्यक्रमों कमें महिलाओं को विशेष दर्जा दिया गया है।

महिलाओं के विकास और सशक्तीकरण में मीडिया की महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका है। महिलाओं को जागरूक करने, विकास कार्यों से जोड़ने, उनकी शिक्षा और ज्ञान के स्तर को ऊँचा उठाने में मीडिया ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। महिलाओं की उद्यमशीलता और तरक्की की खबों को प्रसारित–प्रचारित कर उसने उत्प्रेरक का भी काम किया है।

महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में मीडिया की भूमिका का अवलोकन:

उपर्युक्त तथ्यों का अवलोकन करने पर निष्कर्त हम कह सकते हैं कि जहां भी सामाजिक बन्धनों या सामन्ती शक्तियों, पुरुषवादी मानसिकता के लोगों ने महिलाओं पर बंदिश लगाने, उनका शोषण करने और उनका हक छीनने का प्रयास किया है, मीडिया ने महिलाओं के पक्ष में संघर्ष किया है। मीडिया ने महिलाओं के विकास और उनकी स्थिति में सुधार के लिये उनके रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी, संपत्ति में अधिकार संबंधी मसले, यौन व मानसिक शोषण का प्रतिकार आदि अनेक मुद्दों को मंय प्रदान कर सरकार को नीतियाँ बनाने के लिये उत्प्रेरित करने का कार्य किया है।

कलेकिन बाजारवाद और उपभोक्तावाद के प्रभाव में मीडिया ने महिलाओं को ''उत्पाद'' के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि ''नारी'' की छवि एक ''वस्तु'' के रूप में विकसित हो गई है। इससे नारी सशक्तीकरण को अत्यधिक नुकसान भी पहुंचा है। फलस्वरूप महिलाओं के प्रति समाज में नकारात्मक और उपभोक्तवादी रवैया विकसित हुआ है।

मीडिया को चाहिये कि वह महिलाओं की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने से परहेज करें और उनके विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अत्यधिक बल प्रदान करें तभी मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति संभव होगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. अम्बिका प्रसाद वाजपेयी (1986), समाचारपत्रों का इतिहास, ज्ञानमण्डल, वाराणसी।
2. हिरण्यमय कार्लेकर (2002), 'द मीडिया : इवोल्यूशन, रोल ऐंड रिस्पांसिबिलिटी'।
3. एन.एन. वोहरा और सव्यसाची भट्टाचार्य (सम्पा.), लुकिंग बैक : इण्डिया इन ट्वेंटियथ सेंचुरी, एनबीटी और आईआईसी, नयी दिल्ली।
4. मोहित मोइत्रा (1993), अ हिस्ट्री ऑफ जर्नलिजम, नैशनल बुक एजेंसी, कोलकाता।
5. आर. पार्थसारथी (1989), जर्नलिजम इन इण्डिया : फ्रॉम द अर्लिएस्ट टाइम्स ट प्रजेंट डे, स्टर्लिंग पब्लिशर्स, नयी दिल्ली.
6. एस.पी. शर्मा (1996), द प्रेस : सोसियो–पॉलिटिकल अवेकनिंग, मोहित पब्लिकेशंस, नयी दिल्ली.
7. के. सियुनी (1992), डब्ल्यू. ट्रुएट्शलर और द युरोमीडिया रिसर्च ग्रुप, डायनामिक्स ऑफ मीडिया पॉलिटिक्स, सेज पब्लिकेशंस, लंदन.
8. पी.सी. चटर्जी (1987), ब्रॉडकास्टिंग इन इण्डिया, सेज पब्लिकेशंस, नयी दिल्ली.
9. के. बालासुब्रह्मण्यम (1999), द इम्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मीडिया ऑन मीडिया इमेजिज : अ स्टडी ऑफ मीडिया इमेजिज बिटवीन 1987–1997, अप्रकाशित थीसिस, ओहाइयो स्टेट युनिवर्सिटी, कोलम्बस.
10. यू.वी. रेड्डी (1995), 'रिप वान विंकल : अ स्टोरी ऑफ इण्डिया टेलिविजन', डी. फ्रेंच और एम. रिचर्ड्स (सम्पा.), कंटम्परेरी टेलिविजन : ईस्टर्न पर्सपेक्टिव्ज, सेज, नयी दिल्ली,
11. पी.सी. चटर्जी (1987), ब्रॉडकास्टिंग इन इण्डिया, सेज पब्लिकेशंस, नयी दिल्ली.
12. के.एस. नायर (1998), 'ग्रेजुएटिंग फ्रॉम इनफॉरमेशन साइडवॉक टु हाईवे', इण्डिया एब्रॉड, 9 अक्टूबर.